



आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली  
कार्मिक शाखा

सं. E/IMCF/RBL/Prom./DMS/Store/PQ 66-2/3%

दिनांक : 27.12.2021

कार्यालय आदेश संख्या:-**359** 2021

विषय:- आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के भंडार विभाग में 66-2/3% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत डिपो सामग्री अधीक्षक (वेतन लेवल 06) के पद पर पदोन्नति के संबंध में।  
संदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक:27.12.2021

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के भंडार विभाग में 66-2/3% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत डिपो सामग्री अधीक्षक (वेतन लेवल 06) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्तता घोषित की गई है।

अतः आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के 66-2/3% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत डिपो सामग्री अधीक्षक (वेतन लेवल 06) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए उनके प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक के अधीन पदस्थ किया जाता है:-


S. N.	Emp. No	Name of Employee (S/Sri)	Cat.	Deptt.	Design. & Pay Level-05	Promoted As in Level-06
1	52000251170	Sanjay Kumar	OBC	Store	Sr.Clerk	Depot Material Superintendent
2	52000250266	Ramesh Chand Pandey	UR	Store	Sr.Clerk	Depot Material Superintendent
3	52000250393	Rajesh Kumar Jaiswal	OBC	Store	Sr.Clerk	Depot Material Superintendent
4	52000251184	Sanjai Singh Yadav	OBC	Store	Sr.Clerk	Depot Material Superintendent
5	52000452668	Rajesh Kumar	OBC	Store	Sr.Clerk	Depot Material Superintendent
6	52000251201	Kirori Mal Meena	ST	Store	Sr.Clerk	Depot Material Superintendent

यदि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध डी.एण्ड.ए.आर. एवं विजिलेन्स से संबंधित कोई कार्यवाही लंबित हो या प्रक्षेपित हो जिसके लंबित या प्रक्षेपित होने पर कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, तो उक्त संबंध में इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।

**“This panel/promotion is provisional and subject to the outcome of the main SLPs and contempt petition (C) No. 314/2016 in SLP(C) No. 4831/2012- Samta Andolan Samiti through its President vs Sanjay Kothari & Ors and any other cases pending in any court of law on the subject panel/promotion.”**

यदि उपरोक्त कर्मचारी को पहले से ही संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त हो चुका है तो इन्हें उपरोक्त पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण का लाभ दोबारा प्रदान नहीं किया जायेगा।

संबंधित कर्मचारी अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट एवं पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के संबंध में विकल्प (एक माह के अंदर) अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भेजें।

  
27.12.21  
सहायक कार्मिक अधिकारी/स्टाफ  
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव महाप्रबंधक/आरेडिका/रायबरेली।
2. प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक /आरेडिका/रायबरेली।
3. उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/मुख्या., उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/आरेडिका/रायबरेली।
4. PS to PCPO :- आरेडिका/रायबरेली को वेबसाइट/मोबाइल एप पर अपलोड करने के संबंध में।
5. संबंधित कल्याण निरीक्षक/आरेडिका/रायबरेली।
6. संबंधित कर्मचारी।

